न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 68/प्रा.पत्र/2022	25.07.2022	20.08.2024
(GCMS No. 2022/125)		

केसरीलाल आ. पन्नालाल जाति रेगर
निवासी माटून्दा, तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मथरा आ. किशना जाति रेगर निवासी माटून्दा, तह.बून्दी
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बून्दी
3. आवंटन परामर्शदात्री समिति जरिए
   उपखण्ड अधिकारी बून्दी (जिला बून्दी)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

प्रार्थीगण की ओर से श्री रामकैलाश नागर, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री रामदत्त शर्मा, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से पेरोकार सरकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 को पत्रावली संख्या 44/आवंटन/1999 पर किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 118 मिन रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा वाकेग्राम माटून्दा आवंटन आदेश दिनांक 04.06.1999 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 68/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No.2022/125 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगणको वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं.1 द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 05.02.2024 को जवाब पेश किया जाकर उक्त कार्यवाही मिथ्या आधार पर पेश किये जाने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सं. 3605/3007 रकबा 0.6537 हैक्टेयर वाकेग्राम माटून्दा, तहसील व जिला बून्दी में स्थित है। जिसके पुराना खसरा नम्बर 118 मिन है जिस पर वर्तमान जमाबंदी संवत 2075–2078 में अप्रार्थी सं. 1 गैर खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी सं. 1 एवं इसके परिवार वालों का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, बल्कि आवंटन से पूर्व ही उक्त आराजी प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। किन्तु बिना कब्जे की जानकारी किये ही उक्त आराजी अप्रार्थी सं. 1 के नाम गैर कानूनी रूप से आवंटित कर दी गई। इसके बाद अप्रार्थी सं. 1 ने 3,75,000/– रूपये में प्रार्थी को बेच दिया था तथा जिसका 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर दिनांक 20.06.2008 को प्रार्थी के पक्ष में बेचाननामा लिखा गया था। उक्त बेचाननामा 2 गवाहान के समक्ष नोटेरी क्रमांक 901 दिनांक 20.06.2008 को नोटेरी एडवोकेट जगदीश जी गुप्ता द्वारा तस्दीक किया हुआ है। इसके बावजूद उक्त सिवायचक भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 द्वारा कब्जे की जांच किये बिनाही दिनांक 12.11.2010 को अप्रार्थी सं.1 को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया, जो गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है। तहसीलदार बून्दी के आदेश क्रमांक भू.अभि./3628 दिनांक 16.06.2021 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा मौके पर मजमेआम एवं ग्रामवासियों के हस्ताक्षरों से तैयार की गयी मौका रिपोर्ट दिनांक 18.06.2021 में आवंटी मथरा अथवा उसके वारिसान का कभी कब्जा काश्त नहीं होना माना गया है। आवंटी ने आवंटन शर्तो के अनुसार आवंटित भूमि को काश्त नहीं किया है। इसलिए आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2002 पेज 150, आरआरडी 2003 पेज 260, आरआरटी 2015(1) पेज 646, आरआरटी 2021(2) पेज 1140 एवं आरआरटी 2023(1) पेज 431 की नजीरें पेश करते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी सं.1 को आवंटन परामर्शदात्री समिति ने आवंटन का पात्र मानते हुऐ दिनांक 04.06.99 को प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटन के पश्चात आवंटी को कब्जा दिया गया, तब से ही आवंटित भूमि पर आवंटी काबिज रहकर निरन्तर काश्त कर रहा है। अप्रार्थी द्वारा खसरा गिरदावरी की नकले पेश की जिनमें अप्रार्थी की गेहूं व सोयाबीन की फसल होना अंकित है। आवंटन के 22 वर्ष बाद प्राईवेट पक्षकार द्वारा नियम 14(4) के तहत आवेदन करना उचित नहीं है, ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अवधि बाधित होने से निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा

जिला कलेक्टर, बून्दी

और न ही उसके द्वारा आवंटन के समय आवंटन हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किया था, इसलिए वह पीड़ित पक्षकार नहीं होने से उसे यह कार्यवाही प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। नियम 14(4) के तहत आवंटन को केवल तथ्यों को छिपाकर या धोखे से आवंटन करवाये जाने पर ही निरस्त किये जाने का प्रावधान है किन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। प्रार्थी ने अपना पुराना कब्जा होने के संबंध में तथा वक्त आवंटन आवंटन समिति के समक्ष आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी निराधार है। कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन अधिनियम,1970 के तहत आवंटन के 3 वर्ष बाद गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान है, जिसके अनुसार गैर खातेदार अप्रार्थी सं.1 स्वतः खातेदार बन चुका है। आर.टी.एक्ट की धारा 41 के तहत खातेदार टीनेन्ट ही भूमि बेचान कर सकता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत तथाकथित इकरारनामा कानूनन प्रभावशून्य होने से पत्रावली पर साक्ष्य हेतु विधिसम्मत दस्तावेज नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 87, आरआरडी 1973 पेज 566, आरआरडी 2011 पेज 571, आरआरडी 2009 पेज 99, आरआरडी 1987 पेज 448 की नजीरें पेश करते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी कानून विरूद्ध तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ कि मथुरालाल आ0 किशनलाल जाति रेगर निवासी माटून्दा को दिनांक 04.06.1999 को भूमि खसरा संख्या 118 मिन रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा वाकेग्राम माटून्दा का आवंटन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं. 2386 दिनांक 12.11.2010 के अनुसार ग्राम माटून्दा की आराजी खसरा सं. 3007/118/1 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा पर मथरा वल्द किशना कौम रेगर को गैर खातेदार दर्ज किया गया। नकल जमाबंदी संवत 2075–2078 के अनुसार मथरा पुत्र किशना जाति रेगर भूमि खसरा सं. 3605/3007 रकबा 0.6537 हैक्टेयर वाकेग्राम माटून्दा पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। जिस पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रकट की गई कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का पुराना कब्जा काश्त है तथा अप्रार्थी सं.1 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उसको किया गया आवंटन निरस्त किया जावे, जबकि अप्रार्थी सं. 1 का तर्क रहा कि वह आवंटित भूमि पर काबिज होकर निरन्तर काश्त कर रहा है, प्रार्थी के पास पुराने का कब्जे का कोई सबूत नहीं है। ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

प्रार्थी ने गैर खातेदार द्वारा उक्त आवंटित भूमि उसे बेचान किया जाना अंकित करते हुये प्रार्थना पत्र के साथ 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर भूमि बेचान का इकरारनामा दिनांक 20.06.08 की छायाप्रति पेश की है, किन्तु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अभाव में भूमि बेचान के बारे में ऐसे दस्तावेज का कोई महत्व नहीं होने से साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य नहीं है। जहां तक आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने का प्रश्न है तो आवंटी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे आवंटी का निरन्तर कब्जा काश्त प्रमाणित हो सके। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट ग्राम माटून्दा दिनांक 18.06.2021 के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त आवंटित भूमि पर गैर खातेदार मथरा आ. किशना का कब्जा काश्त नहीं है। वर्तमान में उक्त आराजी पर केसरीलाल आ. पन्नालाल कौम रेगर निवासी माटून्दा का कब्जा काश्त है। विगत 13 वर्षो से केसरीलाल का कब्जा काश्त होना अंकित है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रकट होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है, ऐसी स्थिति में आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 04.06.1999 से मथुरालाल आ0 किशनलाल जाति रेगर निवासी माटून्दा को आवंटित भूमि खसरा सं.118 मिन रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा (हाल खसरा सं. 3605/3007 रकबा 0.6537 हैक्टेयर) वाकेग्राम माटून्दा का किया गया आवंटन एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। जहॉ तक विवादित भूमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त का प्रश्न है तो उसकी हैसियत मात्र अतिक्रमी की है, उसे उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसे में यदि प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा पाया जावे, तो उसे अविलम्ब बेदखल किया जाकर कब्जा राज लिया जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 20.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी